यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बडकोट** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बडकोट** के माह 05/2008 से 03/2016 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव एवं श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2017 से 20.01.2017 तक श्री एस0के0 जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखपारीक्षा श्री डी0के0 मिश्रा एवं श्री एस0के0 गर्ग सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19/05/2008 से 22/05/2008 तक संपादित किया गया था जिसमें माह 04/2008 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2008 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- स्नातक स्तर के छात्रों को कला संकाय के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाना। इसके अन्तर्गत उत्तरकाशी जिले के ब्लॉक बडकोट एवं आसपास स्थित गाँव के छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जा रहा था।
3. (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौकोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आबंटन ₹	व्यय ₹	आबंटन ₹	व्यय ₹		
2013-14			51.11	51.39	00	00	0.28	00
2014-15			57.87	50.28	00	00	00	7.59
2015-16			58.23	44.68	5.50	2.70	00	16.35

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
2013-14					
2014-15		शून्य			
2015-16					

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई को निदेशालय के माध्यम से राशि अवमुक्त की जाती है जो महाविद्यालय को कोषागार के माध्यम से प्राप्त होती है। तथा इकाई सी श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव उच्च शिक्षा 2. निदेशक उच्च शिक्षा 3. संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा 4. प्राचार्य।

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बडकोट एवं लेखापरीक्षा विधि लेनदेन की लेखापरीक्षा (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुकाल जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचारिय राजकीय महाविद्यालय बडकोट (जिस इकी की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2012 एवं 04/2014 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। कार्य का चयन उनमें प्राप्त निधि एवं उस कार्य में किये गये क्रियाकलाप (प्रितचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्वेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्त) अधिनियमस, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-तीन

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या
AIR NO-40/2008-09	शून्य	शून्य

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रितवेदनों के अनिसातारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर पनी टीका सहित भाग-तीन के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-दीन में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-तीन में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिसातारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत लेखापरीक्षा में कोई भी भाग-दो (अ) एवं भाग-दो (ब) के प्रस्तर नहीं थे।				

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

महाविद्यालय द्वारा छात्रों को निरंतर शिक्षण प्रदान किया जा रहा था। जिनमें समय समय पर उनको पुरस्कार एवं सम्मान समारोह के द्वारा सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तरः 1 प्रतिभूति जमा निधि में अभिप्रेत उद्देश्य से इतर ₹ 4.20 लाख के अनियमित व्यय।

प्रतिभूति जमा निधि (काशनमनी) का उपयोग छात्रों द्वारा महाविद्यालय छोडने पर उनको वापस करने के लिये रखी जाती है।

इकाई के प्रतिभूति जमा निधि से सम्बन्धित रोकड बही और बिल बाउचर्स अभिलेख के निरीक्षण में पाया गया कि माहविद्यालय द्वारा अधिकांशतः इस निधि का प्रयोग अन्य मदों में व्यय करके किया जा रहा था। जिसके लिये न तो निदेशालय स्तर पर इसकी जानकारी दी गयी और न ही सक्षम प्राधिकारी से इसकी अनुमित प्राप्त की गयी। अन्य मदों में किये गये व्यय की स्थिति संलग्नक अ में दी जा रही है।

इकाई से पूछने पर बताया गया कि काशनमनी सम्बन्धी निधि का उपयोग पूर्व पदस्थ प्राचार्य एवं प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अपने स्तर से अन्य मदों में राशि व्यय करने में की गयी जो जानकारी के अभाव में की गयी थी।

इकाई का उत्तर स्वतः इस तथ्य की पुष्टि करता है कि इकाई द्वारा प्रतिभूति जमा निधि का उपयोग सम्बन्धित मद में न करके अन्य मदों में किया गया जो अन्यमित व्यय था।

अतः प्रतिभूति जमा निधि सें इतर उद्देश्यों में ₹ 4.20 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तरः 2 बजट में अवशेष ₹ 20.33 लाख का समर्पण न किया जाना।

बजट आबंटन के सापेक्ष वर्ष भर में कोषागार से आहरित/व्यय राशि को घटाने के बाद जो अवशेष राशि बचती है। उसे वर्ष के अन्तिम में समर्पण करना होता है।

वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक समर्पण से सम्बन्धित अभिलेख तथा बी0एम0 8 सम्बन्धी व्यय के निरीक्षण में आबंटित बजट से व्यय घटाने के पस्चात अवशेष राशि से इतर राशि समर्पण के रूप में दर्शायी गयी थी। तथा अंतर की राशि किस मद में व्यय की गयी थी यह भी इकाई द्वारा बताया नहीं जा सका।

वर्ष	प्राप्त बजट	व्यय	अवशेष	समर्पण राशि	अंतर
2013-14	5111100.00	5139062.00	27962.00	16000.00	11962.00
2014-15	5787000.00	5027814.00	759186.00	93800.00	665386.00
2015-16	6373000.00	4737997.00	1635003.00	279121.00	1355882.00

इस सम्बन्ध में इकाई से पूछने पर बताया गया कि पूर्व प्राचार्य एवं प्रशासनिक अधिकारी के स्थानान्तरण के कारण वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतिशीघ्र सम्बन्धितों से पत्राचार कर जानकारी लेकर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा।

उकाई का उत्तर से स्वतः इस बात की पुष्टि होती है कि इकाई को इस बात का संज्ञान नहीं था कि अवशेष से इतर राशि समर्पण क्यों की गयी तथा अंतर की राशि का व्यय किस मद में किया गया।

अतः अवशेंष राशि से इतर राशि ₹ 20.33 लाख के समर्पण न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः- 1 ₹ 478.39 लाख का अनावासीय भवन का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था और महाविद्यालय के मध्य सामंजस्य न होने के कारण तीन वर्ष पश्चात भी अपूर्ण रहना।

राजकीय महाविद्यालय बडकोट उत्तरकाशी के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या 838/ गगपअ 2014.7 घो/13 दिनांक 4 मार्च 2014 द्वारा ₹ 478.39 साथ ता आगणन स्वीकृत किया गया था। इस कार्य का सम्पादन कार्यदायी संस्था उ0प्र0रा0नि0निगम नई टिहरी इकाई द्वारा किया जा रहा था। जिनके द्वारा अप्रैल 2014 में कार्यारम्भ किया गया था। जून 2015 तक ₹ 304.94 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जा चुका था। निदेशक उच्च शिक्षा के पत्रांक सं0 4075-4142/2015-16 दिनांक 12 जून 2015 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि इकाई के साथ किये गये समझौता पत्र के अनुसार निर्गत धनराशि का सदुपयोग किये जाने सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना था तथा निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित अवशेष धनराशि स्वीकृति कराये जाने हेतु निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण तथा फोटोग्राफ निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना था।

अभिलेखों के निरीक्षण में यह पाया गया कि माहविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था से न तो निर्माण की प्रगति प्राप्त की गयी और नी ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये। दिसम्बर 2014 में समाचार पत्र में निर्माण कार्य की कमियां उजागर होने पर उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार, जनवरी 2015 में कमेटी बनाकर मात्र एक बार निरीक्षण किया गया जिसकी आख्या जिलाधिकारी महोदय को जनवरी 2015 में प्रेषित की गयी थी। निर्माण इकाई से मासिक प्रगति और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के सम्बन्ध में निदेशालय को वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराया गया।

निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों जिसमें समय समय पर कार्य का भौतिक निरीक्षण कर निदेशालय को कार्य की प्रगति और कार्यदायी संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया कि तत्कालीन प्राचार्य द्वारा डीपीआर पर हस्ताक्षर करके कार्यदायी संस्था को दिये गये थे। परन्तु महाविद्यालय में कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र और कार्य की प्रगति भी कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित नहीं की जाती इसलिए वर्तमान तक कितनी राशि अवमुक्त की जा चुकी है एवं कार्य की प्रगति और अद्यतन व्यय क्या है इस सम्बन्ध में महाविद्यालय को कोई भी संज्ञान नहीं है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशक उच्च शिक्षा ने अपने उक्त निर्देश में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया था कि प्राचार्य के प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात ही उपयोगिता प्रमाण पत्र और कार्य की प्रगति निर्गत की जानी थी परन्तु कार्यदायी संस्था एवं महाविद्यालय के मध्य कोई सामंजस्य स्थापित न होने की वजह से कार्य की प्रगति पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया जिससे कार्यारम्भ से तीस माह की अवधि व्यतीत होने पर भी लेखापरीक्षा माह (जनवरी 2017) तक कार्य पूर्ण नही हो पाया। परिणामस्वरूप माहविद्यालय बनाये जाने का उद्देश्य फलीभूत नहीं हो सका।

अतः ₹ 478.39 लाख के अपूर्ण निर्माण कार्य का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः-2 रोकड बही को वित्तीय नियमानुसार न बनाये जाने के कारण महाविद्यालय में संचालित प्रत्येक खाते में होने वाली संभावित त्रुटि।

रोकड बही इकाई का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। वित्तीय नियमानुसार रोकड बही का रखरखाव प्राप्ति एवं भुगतान को उसके चेक सं0, प्राप्ति रसीद, बिल, एवं बाउचर्स के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष में तिथिवार दर्शाया जाना चाहिये। प्रत्येक पृष्ठ के अन्तिम शेष को अगले पृष्ठ पर ले जाया जाना चाहिये। तथा माह के अन्त में पास बुक एवं रोकड बही का मिलान करके अन्तर की राशि का बैंक समाधान विवरण बनाया जाना चाहिये था। ताकि लेखे की सही एवं स्पष्ट स्थिति से अवगत हुआ जा सके।

महाविद्यालय में संचालित समस्त रोकड बही, बिल बाउचर एवं पास बुक के चयनित माह 08/2012 एवं 04/2012 के अभिलेखों के निरीक्षण में पाया गया कि प्राचार्य का मुख्य खाता सं0 12679 में रोकड बही में वर्ष 2010 में ₹ 2,52,365/- की प्राप्ति दर्शायी गयी थी तथा व्यय ₹ 515/- दर्शाया गया था जिसको घटाने पर ₹ 251850/- आता था। किन्तु रोकड बही में ₹ 115338/- दर्शाया गया था। साथ ही आगे के पृष्ठ में ₹ 12952/- दर्शाया गया था। उसके पश्चात न तो प्राप्ति और भुगतान की मदों में किसी सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर दर्ज था और न ही उस पृष्ठ पर शेष दर्शाया गया था। अगले पृष्ठ पर प्रारम्भिक शेष ₹ 67448/- दर्शाया गया था। पुनः वर्ष 2013-14 में प्रारम्भिक शेष ₹ 188280/- दर्शाया गया था। तथा वर्ष 2013-14 में भी प्राप्ति और भुगतान का न तो कोई विवरण दर्ज किया गया था और न ही पृष्ठवार शेष

घटाकर दर्शाया गया था। वर्ष 2013-14 में ₹ 1231018/- का शेष वर्ष के अन्त में दर्शाया गया था जो पिछले पृष्ठ से नही लिया गया था तथा त्रुटिपूर्ण था। वर्ष 2014-15 में कोई भी इन्द्राज रोकड बही में नहीं की गयी थी। जबकि पास बुक के अनुसार वर्ष 2014-15 में खाते से लेनदेन किया गया था। साथ ही वर्ष 2015-16 में ₹ 413700/- का शेष दर्शाया गया था जो कहां से लिया गया वह लेखापरीक्षा को ज्ञात नही हो पाया। तथा वर्ष 2015-16 में भी शेष रोकड बही का पिछले पृष्ठ का शेष न होकर पास बुक के अनुसार शेष दर्शाया गया था।

अन्य खाते जो महाविद्यालय में संचालित किये जा रहे थे। उनके निरीक्षण में भी पाया गया कि रोकड बही में शेष पास बुक के अनुसार दर्शाया जा रहा था न कि रोकड बही के अनुसार जो रोकड बही के रखरखाव के नियमों के सर्वथा प्रतिकूल था। साथ ही महाविद्यालय द्वारा किसी भी माह का बैंक समाशोधन विवरण नहीं बनाया गया था। जिस कारण रोकड बही और पास बुक का मिलान भी किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।

इस सम्बन्ध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया कि पूर्व पदस्थ प्राचार्य एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा खाते का संचालन किया जाता था। जानकारी के अभाव में रोकड बही नियमानुसार नहीं बनाया तथा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है।

अतः रोकड़ बही का वित्तीय नियमानुसार रखरखाव एवं शेष को अगले पृष्ठ पर अग्रसारित न किये जाने तथा बैंक समाधान विवरण न बनाये जाने के कारण रोकड की प्राप्ति एवं भुगतान की सत्य एवं सही स्थिति का ऑकलन नही किया जा सका। तथा उपर्युक्त कमियों के कारण किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन एवं वित्तीय त्रुटि/गडबडी की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः वित्तीय नियमानुसार रोकड बही का रखरखाव न किये जाने के कारण प्रत्येक निधि में संचालित खातें में होने वाली संभावित त्रुटि को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-पाँच

आभार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बडकोट** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए:

- वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक का मासिक व्यय विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
- सतत् अनियमितताए:

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा0 के0 एल0 तलवाड	प्राचार्य	01/06/2008 से 13/08/2009
2	प्रो0 के एल मालगुडी	प्राचार्य	14/08/2009 से 07/12/2012
3	डा0 लवनी आर0 राजवंसी	प्राचार्य	08/12/2012 से 16/07/2014
4	प्रो0 आर0 एस0 असवाल	प्राचार्य	17/07/2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बडकोट** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.